न्यायालय अपर जिला कलक्टर सीकर

उनवान – सरकार बनाम मदनलाल

मुकदमा न. 52/16/एफएसएस एक्ट 2006 व नियम 2011

19.01.2017	पत्रावली पेश हुई खाद्यसुरक्षा अधिकारी एवं मदनलाल कुमावत पुत्र श्रीराम कुमार कुमावत निवासी वार्ड नं. 15 गणेश मन्दिर के पास लोसल मैसर्स– मधुवन मिष्ठान भण्डार बालाजी मन्दिर के सामने बस स्टेण्ड लोसल उपस्थित। बहस सुनी गई एवं पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी नम्बर एफ–585 वस्तु मूंग की बर्फी का नमूना लिया गया । राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोग शाखा, जयपुर की रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकरण मिस बॉन्ड/अमानक का पाया गया है। अप्रार्थी ने अपना जुर्म कबूल किया परन्तु अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर बताते हुये कम से कम जुर्माना लगाने का अनुरोध किया परन्तु में निर्माता कम्पनी स्वयं पार्टी है। कम्पनी के कारोबार को मध्य नजर रखते हुये खादय एवं मानक अधिनियम 2006 तथा नियम 2011 के तहत अप्रार्थी मदनलाल कुमावत के 2000/– रुपये का जुर्माना किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि जुर्माना राशि राज्यकोष में जमा करवाये वरना अप्रार्थी के विरुद्ध इस अधिनियम के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो निर्णय सुनाया गया ।